

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/1154

दिनांक 28.1.19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	मंजू चौधरी	फायरमैन	रीगंस	आदेशो की प्रतिक्षा में निदेशालय
2	श्री कृष्ण कुमार यादव	फायरमैन	चौमू	रीगंस

उक्तानुसार कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/1155-1161

दिनांक 28.1.19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त
04. अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी/नगर पालिका रीगंस/चौमू।
05. संबंधित कर्मचारी.....।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)